

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
सं. 22 /2021- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2021

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

| नोटिसियों का नाम एवं पता | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी |
|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| मै सै मोमेनटिव पेरफ़ोर्मेंस मेटेरियल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड | कारण बताओ नोटिस दिनांक 30.12.2020 C.No. CADT/CIR/ADT/PBA/2/2020- PBA-CIR-B3-O/oCommr- CUS-ADT-Chennai के तहत | (i) अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई VII, एसीसी कस्टम्स, चेन्नई | अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, जवाहर लाल नेहरू कस्टम्स हाउस, न्हा शेवा |
| | | (ii) अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई II, कस्टम्स हाउस, चेन्नई कस्टम्स | |
| | | (iii) अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, जवाहर लाल नेहरू कस्टम्स हाउस, न्हा शेवा | |
| | | (iv) उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, एसीसी सहर | |

[फा° सं° 437/4/2021- सीमाशुल्क IV]


(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)